

56/17

2017/0043

17-6-17 आज यह पंजावली राजमठ लोक अदालत महल
सेवा डेड डुरेंका पर पेश हुई। मूल दावा 108
पाउंड में खारिज किया जा चुका है अब प्राप्ति
212 पाउंड को लागू रखे जाने का कोई औचित्य
नहीं है। अतः मूल दावे की रीशनी में प्राप्ति 212
पाउंड खारिज किया जाता है। पंजावली जैसल
शुभा लोक अदालत के साथ संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी सैफरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोटी
ग्राम पंचायत